वर्ष 5, संख्या 110 रू. 1/-

राष्ट्र महिला

सितम्बर, 2008 राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा प्रकाशित

सम्पादकीय

उच्चतम न्यायालय द्वारा वर्ष 1999 में गीता हरिहरन मामले में दिए गये इस निर्णय के बावजूद कि मां अपने बच्चों की स्वाभाविक अभिभावक है, मुम्बई क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय ने एक 19 वर्षीय लड़की का पासपोर्ट फार्म इस आधार पर अस्वीकृत कर दिया कि मां का नाम पिता के नाम का विकल्प नहीं हो सकता। भाग्यवश, मुम्बई उच्च न्यायालय द्वारा तत्पश्चात दिए गये एक निर्णय ने स्थिति स्पष्ट कर दी और पासपोर्ट कार्यालय को निर्देश दिया कि यदि वह लड़की अपने वास्तविक पिता के नाम के स्थान पर अपने धात्र पिता का नाम लिखे तो इसे एक विशेष स्थिति मानते हुए उसका पासपोर्ट बना दिया जाये।

मुम्बई की उस लड़की ने अपने वास्तविक पिता का नाम इसलिए नहीं लिखा था कि उस व्यक्ति ने लड़की के जन्म के बाद से ही उसकी मां को छोड़ दिया था और वह उसके नाम का बहिष्कार करना ठीक समझती थी क्योंकि उसके जन्म से अब तक उस व्यक्ति ने उससे कोई सम्पर्क नहीं किया था।

परन्तु पासपोर्ट कार्यालय को उसकी मां के नाम से संतुष्ट हो जाना चाहिए था क्योंकि उच्चतम न्यायालय निर्णय दे चुका है कि स्वाभाविक अभिभावक के रूप में मां का समान अधिकार है। फिर भी, भारत में जो भी

चर्चा में माता का अधिकार

फार्म भरे जाते हैं- जैसे पैन कार्ड के लिए, म्यूचुअल फंड के लिए, बैंक खाता खोलने के लिए, शिक्षा तथा व्यवसायी संस्थाओं में आवेदन के लिए-उनमें बहुधा पिता का नाम दिया जाना अनिवार्य होता है, मां का नहीं। यह वास्तव में एक लिंग भेदभाव करने वाली स्थिति है।

निस्संदेह, समाज में बदलाव आ रहा है और एकल माताओं की बढ़ती हुई संख्या के साथ-चाहे यह स्व-निर्णय के कारण हो, तलाक के कारण हो या विधवा होने से हो-माताओं को अपने बच्चों को स्कूल में दाखिल कराने, उनका पासपोर्ट बनवाने आदि में कठिनाई का सामना करना पड़ता है।

हाल ही में राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा आयोजित एक सेमिनार में महिला और बाल विकास मंत्री श्रीमती रेणुका चौधरी ने आश्वासन दिया कि वह सभी संबंधित मंत्रालयों के साथ यह मुद्दा उठायेंगी कि बच्चों से वास्ता रखने वाले सभी फार्मों में पिता के नाम के साथ माता का नाम भरे जाने का उपबंध भी शामिल किया जाये।

आज के बदलते हुए सामाजिक परिप्रेक्ष्य में, न केवल कानूनों में समय के अनुसार बदलाव लाया जाना चाहिए अपितु उन लोगों की मानसिकता भी बदलनी चाहिए जो पिता को परिवार का मुखिया मानते हैं।

बच्चे की देखभाल के लिए तीन वर्ष का अवकाश

केन्द्र सरकार ने अपने कर्मचारियों का मातृत्व अवकाश बढ़ा कर छः मास कर दिया है और बच्चों की देखभाल के लिए दो वर्ष की सवेतन छुट्टी का मार्ग भी प्रशस्त कर दिया है।

1 सितम्बर से लागू इस आदेश से मातृत्व अवकाश की अवधि दो बच्चों तक के लिए प्रति बालक 135 दिन से बढ़ा कर 180 दिन कर दी गयी है। अब से, महिला कर्मचारी अपनी नौकरी के दौरान दो वर्ष (730 दिन) तक की सवेतन छुट्टी दो बच्चों की देखभाल करने के लिए बिना अपनी वरिष्टता खोए ले सकती हैं। यदि किसी महिला का केवल एक बच्चा ही हो तो भी वह दो वर्ष का ''बाल देखभाल अवकाश'' ले सकती है।

सरकार ने अधिसूचित किया है कि बाल देखभाल अवकाश 6 मास की मातृत्व छुट्टी को साथ मिला कर भी लिया जा सकता है। इसका अर्थ हुआ कि यदि कोई महिला केवल एक बच्चे का निर्णय ले तो वह एक साथ ढाई वर्ष का सवेतन अवकाश ले सकती है।

अरुणाचल में विवाह पंजीकरण विधेयक पास हुआ

अरुणाचल विधानसभा ने सर्वसम्मति से विवाह पंजीकरण विधेयक पास कर दिया है जिसके अनुसार राज्य में होने वाले प्रत्येक विवाह का पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा।

उच्चतम न्यायालय ने 2006 में एक निर्णय में सभी राज्य सरकारों को निर्देश दिया था कि वे अपने राज्य में विवाहों के अनिवार्य पंजीकरण का कानून पास करें।

उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि पंजीकरण बाल विवाहों को और पक्षों की मर्जी के बिना किए जा रहे विवाहों को रोकने में बहुत कारगर साबित होगा।

आयोग ने मंगलोर में पुलिस कार्यवाही की जांच की जाने की मांग की

राष्ट्रीय महिला आयोग ने मंगलोर तथा पड़ोसी क्षेत्रों में शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के विरुद्ध पुलिस कार्यवाही की तथा ज्यादती करने वाले पुलिस कर्मियों के विरुद्ध भी जांच की जाने की मांग की।

कर्नाटक में मंगलोर, चिकमगलापुर और उडुपी के दो दिवसीय दौरे के दौरान आयोग की अध्यक्षा डॉ. गिरिजा व्यास ने पाया कि हाल की हिंसा में 19 गिरजाघरों पर आक्रमण किया गया।

उन्होंने विशेषरूप से पुलिस द्वारा प्रदर्शनकारियों पर, विशेषकर महिलाओं पर, की गयी निर्दयता की निन्दा की।

डॉ. व्यास ने कहा कि दंगइयों से बरतते समय पुलिसकर्मी ननों के आश्रमों, चर्चों और उपासना-गृहों में घुस गये। कुछ ननों को चोटें भी आयीं। उन्होंने कहा कि ऐसी घटनाओं के जिम्मेवारों के विरुद्ध कार्यवाई की जानी चाहिए।

सदस्या नीवा कंवर और डा. गिरिजा व्यास पुलिस अत्याचार की एक पीड़िता से बात करते हुए

आयोग ने यह मांग भी की है कि गिरफ्तार किए गये सभी लोगों को मजिस्ट्रेट के सम्मुख पेश किया जाये और जब तक कि किसी के विरुद्ध गंभीर आरोप न हों, आगे गिरफ्तारियां न की जायें।

रात की पारी वाली महिला कर्मचारियों के लिए सुरक्षा पर सेमिनार

महिला कर्मचारियों की सुरक्षा पर सेमिनार में डा. गिरिजा व्यास (दांये से द्वितीय) और सुश्री नीवा कंवर (दांये)

राष्ट्रीय महिला आयोग ने कर्नाटक राज्य कानूनी सेवाएं प्राधिकार, अखिल भारतीय महिला वकील महासंघ और एसोचेम के सहयोग में बंगलौर में 'रात की पारी में महिला कर्मचारियों के लिए सुरक्षा' विषय पर एक सेमिनार का आयोजन किया।

आयोग की अध्यक्षा डॉ. गिरिजा व्यास ने कहा कि "सभी कंपनियां अपने यहां रात की पारी में काम करने वाली महिलाओं की सुरक्षा के लिए एक संहिता तैयार करें।" उन्होंने कहा कि सभी ड्राइवरों की पुलिस शिनाख्त होनी चाहिए और उन्हें वर्दी पहननी चाहिए तथा कॉल सेंटरों के मालिकों द्वारा पुलिस को अपने ड्राइवरों की पूरी सूची एवं पूर्ववृत्त दिया जाना चाहिए। आयोग ने सिफारिश की कि वाहन कहां है यह जानने के लिए काल सेंटरों को अपने वाहनों में ग्लोबल पोज़ीशनिंग प्रणाली स्थापित करनी चाहिए।

यह पाया गया कि महानगरों की बढ़ी हुई अपराध दर में सबसे अधिक असुरक्षित क्षेत्र बंगलौर और लुधियाना हैं जहां क्रमश: 44 और 45 प्रतिशत कामकाजी महिलाएं असुरक्षित हैं।

सदस्यों के दौरे

- सदस्या नीवां कंवर ने वेंकटेश्वर कालिज, नई दिल्ली द्वारा 'महिलाएं, कार्य और सशक्तिकरण' विषय पर आयोजित एक सेमिनार में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया।

सुश्री नीवा कंवर (बायें से द्वितीय) सेमिनार में

सुश्री कंवर ने विद्यार्थियों से अपील की कि वे ग्रामीण भारत में रहने वाले युवक-युवतियों के सशक्तिकरण में सहायता करें। महिलाओं की संरक्षा के लिए तैयार किए गये विभिन्न कानूनों से भी उन्होंने विद्यार्थियों को अवगत कराया।

- सदस्या यास्मीन अब्रार 'डायन प्रथा' पर सेमिनार आयोजित करने की तैयारी के सिलसिले में गुवाहाटी गयीं। वह असम राज्य महिला आयोग तथा दस गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों से भी मिलीं और महिला उत्पीड़न संबंधी विभिन्न मुद्दों पर उनसे विचार-विमर्श किया।
- सदस्या मंजु हेमब्रोम ने झारखंड के साहिबगंज और पाकुर जिलों में महिलाओं तथा बच्चों के अनैतिक व्यापार पर हुयी बैठकों में भाग लिया।

दोनों बैठकों में पूर्व सांसद, पूर्व विधायक, जिलाधीश, एसपी, सभी ग्राम प्रधान तथा पुलिस थाना प्रभारी उपस्थित थे। स्थानीय प्रशासन, पुलिस तथा ग्राम प्रधानों से अनैतिक व्यापार करने वालों की पहचान करने को कहा गया ताकि उन्हें सजा दी जा सके और अनैतिक व्यापार पर अंकुश लगे।

जिला बरगाह में रजनी माही नामक एक 20-वर्षीय युवती को जिन्दा जला देने की घटना से उत्पन्न स्थिति का जायजा लेने सुश्री हेमब्रोम भुवनेश्वर गयीं। इस मामले पर उन्होंने मुख्य सचिव से चर्चा की तथा एसपी एवं जिलाधीश से फोन पर बात की और उनसे इस मामले की एक विस्तृत रिपोर्ट जल्द से जल्द आयोग को भेजने को कहा।

गैर निवासी भारतीयों के विवाहों के लिए अधिक कठोर कानून

गैर निवासी एवं विदेश स्थित भारतीयों द्वारा विवाह के पश्चात अपनी पत्नियों को छोड़ दिए जाने पर रोक लगाने के प्रयोजन से केन्द्र ने निर्णय लिया है कि भारत में सम्पन्न सभी विवाहों का पंजीकरण किया जायेगा तथा भारत एवं विदेशों में उन महिलाओं के मामलों को लड़ने में सरकार उनकी सहायता करेगी।

पंजीकरण का फार्म पूरे देश में एकसमान होगा और दूल्हे की पहचान करने संबंधी सभी आवश्यक सूचना उसमें मौजूद होगी। विस्तृत पंजीकण फार्म से विवादग्रस्त मामलों में विदेश में रह रहे दूल्हों का पता लगाने और उनकी पहचान करने में सहायता मिलेगी। विदेश में रह रहे भारतीयों के विवाहों संबंधी मुकदमों में त्वरित न्यायालयों द्वारा नोटिस तथा सम्मन तामील कराने का अधिक प्रभावी तरीका भी सरकार तैयार कर रही है।

इसके अतिरिक्त, विदेश में रह रहे भारतीय पतियों द्वारा छोड़ दी गयी पत्नियों की सहायता करने के लिए सरकार कुछ और कदम भी उठा रही है, जैसे समय पर एफआईआर दर्ज किया जाना, विदेशों के साथ करार करना, भावी दुल्हनों को जानकारी प्रदान करने का अभियान चलाना और मुकदमों में ऐसी महिलाओं के सहायतार्थ अधिक राशि का प्रावधान करना।

राष्ट्रीय महिला आयोग इस संबंध में समन्वय अभिकरण की भूमिका निभायेगा, विदेशों में भारतीयों द्वारा परित्यक्त महिलाओं संबंधी सभी शिकायतें प्राप्त करेगा और उनकी जांच करेगा।

आरोपित गैर निवासी भारतीयों के विरुद्ध न्यायालय द्वारा दिए गये आदेशों की सूचना राज्य सरकारों द्वारा अप्रवासी अधिकारियों को देनी होगी, ताकि ऐसे लोगों को भारत छोड़ने से रोका जा सके।

विदेशों से-विशेषकर अमेरिका, इंग्लैंड, कनाडा, आस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड से जहां समुद्रपार भारतीयों द्वारा भारतीय महिलाओं को छोड़ देने की समस्या अधिक गंभीर है-परस्पर कानूनी सहायता संधियां की जायेंगी जिनमें नोटिस तथा सम्मन तामील करने और भरण-पोषण आदेशों की क्रियान्विति के आदेशों का पालन करने के प्रावधान शामिल होंगे।

मंत्रालयों ने निर्णय लिया है कि भावी दुल्हनों तथा उनके परिवारों को यह जानकारी देने के लिए तेज़ अभियान चलाया जायेगा कि उन्हें समुद्रपार भारतीयों से रिश्ता जोड़ते समय क्या-क्या सावधानियां बरतनी चाहिए।

महत्वपूर्ण निर्णय

• अपंग हुए कर्मचारी का बच्चा भी नियुक्ति का अधिकारी: उच्चतम न्यायालय

उच्चतम न्यायाल ने कहा है कि करुणा के आधार पर नियुक्ति की जाना केवल उन मामलों तक ही सीमित नहीं है जिनमें किसी कर्मचारी की कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो जाती है। उन लोगों के बच्चे भी जो अपंग हो जाने के परिणामस्वरूप अवकाश ग्रहण कर लेते हैं इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं।

न्यायालय ने कहा कि ''जब किसी कर्मचारी की अपने कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार पर आय समाप्त हो जाने के कारण आर्थिक संकट और यकायक विपत्ति आ पड़ती है, परन्तु जब कोई व्यक्ति किसी गंभीर बीमारी अथवा दुर्घटना के कारण अपंग हो जाता है और परिणामस्वरूप उसकी नौकरी चली जाती है तो परिवार को और भी अधिक आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है क्योंकि न केवल आय समाप्त हो जाती है अपितु इलाज में भी बहुत सा पैसा खर्च करना पड़ता है और उसकी देखभाल के लिए परिचारक भी रखना पड़ सकता है।''

• अच्छे पैसे कमाने वाली पत्नी के लिए भरण-पोषण नहीं : उच्च न्यायालय

दिल्ली उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया है कि पर्याप्त पैसा कमाने वाली महिला अपने विरक्त पति से भरण-पोषण पाने की हकदार नहीं है। यह विचार व्यक्त करते हुए उच्च न्यायालय ने एक वैवाहिक विवाद में परिवार न्यायालय द्वारा दिए गये उस आदेश को रद्द कर दिया जिसमें 80000 रु. प्रति मास कमाने वाली महिला को 7500/- रु. प्रति मास भरण-पोषण प्रदान किया गया था।

उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गये एक निर्णय के अनुसार, कोई महिला तब भरण-पोषण पाने की हकदार होती है जब उसकी अपनी स्वयं की आय इतनी काफी नहीं है जिससे वह वैसा ही जीवन-स्तर बनाए रख सके जो अपने पति के साथ बसर करती थी।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने यह स्वीकार किया कि 80000/. की मासिक आय स्वयं के भरण-पोषण के लिए पर्याप्त है।

• 24 सप्ताह तक गर्भपात वैध

निकिता मेहता के मामले से उठे राष्ट्रव्यापी वाद-विवाद को दृष्टि में रखते हुए, केन्द्र सरकार गर्भ के समापन की कानूनी सीमा 20 सप्ताह से बढ़ा कर 24 सप्ताह करने का विचार कर रही है। केन्द्र का मानना था कि 'गर्भ का चिकित्सीय समापन अधिनियम' की पुनरीक्षा की जाने की आवश्यकता है।

मुम्बई की निकिता मेहता को अपने गर्भ के चिकित्सीय समापन की अनुमति 20 सप्ताह बाद नहीं दी गयी थी, यद्यपि यह पाया गया था कि भ्रूण को हृदय की समस्या है। वर्तमान कानून के अनुसार, यदि यह पाया जाता है कि गर्भस्थ बच्चे को कोई गंभीर समस्या है अथवा माता के जीवन को खतरा है तो गर्भधारण के 20 सप्ताह तक ही गर्भपात कराया जा सकता है।

• यौन उत्पीड़न पर दिल्ली नगरपालिका की हेल्पलाइन

दिल्ली नगरपालिका ने यौन उत्पीड़न के मामलों में अपने कर्मचारियों एवं नगरपालिका के स्कूलों में शिक्षा पा रहे विद्यार्थियों की सहायतार्थ एक हेल्पलाइन प्रारंभ की है जिसमें शिकायतकर्ता की पहचान को गुप्त रखा जायेगा।

कोई भी पीड़ित व्यक्ति नगरपालिका को या तो ई-मेल कर सकता है अथवा फोन द्वारा शिकायत दर्ज करा सकता है। यह व्यवस्था इसलिए की जा रही है कि अनेक शिकायतें वरिष्ठ अधिकारियों के दबाव के कारण दर्ज नही कराई। अब तक यौन-उत्पीड़न के 25 मामले मिले हैं जिनमें से 13 शिक्षा विभाग से आये हैं। अब शिकायतकर्ता को सीधा सम्पर्क उपलब्ध होगा जिससे वह ऐसे मामलों को दर्ज कराने में संकोच नहीं करेगा।

शिकायत भेजने का ई-मेल पता है: helplinecomplaintsmed@gmail.com और टेलीफैक्स है 23919312

अग्रेतर सूचना के लिए देखें हमारा वेबसाइट : www.ncw.nic.in

राष्ट्रीय महिला आयोग, 4-दीन दयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली-110002 द्वारा प्रकाशित। सब-अर्बन प्रेस, 244/5, गली नं. 13, थान सिंह नगर, आनंद पर्वत, नई दिल्ली-110005 में मुद्रित • सम्पादक : गौरी सेन